International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 13-01-2025, Accepted: 12-02-2025, Published: 27-02-2025
Volume 11, Issue 1, 2025, Page No. 57-62

सीकर ठिकाने एवं जयपुर राज्य के मध्य 1938 का संघर्ष

कुलदीप
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
सीकर व जयपुर के मध्य हुई इस संघर्ष से हमें पता चलता है कि किस प्रकार एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिये हमेशा आतुर रहती थी यहीं बात हमें इस संघर्ष में दिखाई देती है। जयपुर राज्य सीकर पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था क्योंकि सीकर ठिकाने का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था तथा आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी था इसलिए जयपुर राज्य इस पर अधिकार कर यहाँ के आर्थिक साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर अपनी आय के साधन बढ़ाना चाहता था इसलिए उसने एक चाल चली जिसका मोहरा सीकर रावराजा के पुत्र को बनाया तथा अनावश्यक रूप से ही सीकर पर आक्रमण कर दिया जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तथा कईयों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें लम्बी यातनाएँ सहन करनी पड़ी लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने रावराजा का भरपुर सहयोग किया। महाराजा जयपुर ने चार माह तक पुलिस के कड़े पहरे में सीकर को रखा। आखिर रावराजा सीकर को दबना पड़ा व महाराजा जयपुर की संधि स्वीकार करनी पड़ी और अपने शासनाधिकारों से वंचित होना पड़ा।

मुलशब्द: जयपुर, सीकर, ठिकाना, गोलीकांड, जनता, लाठीचार्ज, पुलिस, राव राजा, महाराजा

जयपुर–सीकर संघर्ष के प्रमुख कारण

सीकर को अपने आंतरिक मामलों में स्वशासन का पूर्ण अधिकार था और सीकर की पुरानी व प्रचलित प्रथा के अनुसार अपने आंतरिक मामलों में एकान्तिक स्वशासन की शक्ति प्राप्त थी जिसे जयपुर दरबार को हर स्थिति में मानना आवश्यक था किंतु जयपुर दरबार सीकर पर अपना प्रभाव बनाये रखने हेतु सीकर के आन्तरिक मामलों व प्रशासन में निराधार आपतियां व कुप्रबंधन का आरोप लगातार अनुचित हस्तक्षेप करता रहता था।

1. **रावराजा कल्याण सिंह के सुधार** – रावराजा माधवसिंह जी की मृत्यु के बाद उनका दतक पुत्र रावराजा कल्याण सिंह बहादुर 9 जूलाई, 1922 ई. को शासक बनते है।[1] इन्होंने राजगद्दी प्राप्त करते ही क्राँतिकारी सुधारों की शुरूआत कर दी थी और सीकर के प्रशासन में जड़मूल से परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। जिसे जयपुर राज्य बिल्कुल भी स्वीकार करना नहीं चाहता था।

2. **बालाबक्श कायस्थ की सलाह लेना** – रावराजा कल्याण सिंह सीनियर अफसर के रहते हुए भी बालाबक्श कायस्थ[2] की सलाह से शासन चलाते थे, किसी सीनियर अफसर ने रावराजा के विरुद्ध बालाबक्श की सलाह से प्रचलित सीकर शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप चाहते हुए जयपुर शिकायत भेजी इसके बाद बालाबक्श को निर्वासित कर दिया जाता है और सीकर ठिकाने पर जयपुर द्वारा एक अधिकारी को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता हैं। इसको जयपुर दरबार का अनुचित हस्तक्षेप ही माना जा सकता है।

3. **कैप्टेन वेब की सीकर प्रशासक के रूप में नियुक्ति** –14 मई, 1934 को कैप्टेन वेब को तीन वर्ष के लिए सीकर का सीनियर ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। (बाद में इसका कार्यकाल मई 1937 तक कर दिया गया) इस पद पर नियुक्त होने के 15 दिन बाद ही मि. वेब ने एग्जीक्यूंटिव और ज्यूडिशियल अधिकारों की प्राप्ति के लिए रावराजा को एक पत्र लिखा रावराजा ने पत्र मिलते ही समकालीन जाट आन्दोलन से निपटने के लिए मि. वेब को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिये। इस प्रकार जयपुर दरबार प्रशासन के आंतरिक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था।

4. **मिस्टर विल्स की रिपोर्ट** –जयपुर दरबार ने मिस्टर विल्स को शेखावाटी क्षेत्र के विभिन्न ठिकानेदारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आयुक्त नियुक्ति किया, विल्स ने सीमित सामग्री जो उसके समक्ष रखी गई थी के आधार पर जो एक तरफा जाँच की उसमें ठिकानेदारों की स्थिति को बहुत ही निचा आंका गया, उन्होंने विशेषतः यह सिफारिस की कि जयपुर दरबार को इन ठिकानो से मिलने वाली आय को बढ़ा दिया जाना चाहिए, तथा जयपुर दरबार को इन ठिकानों पर जकात लगाने का अधिकार है साथ ही इन ठिकानों से निकलने वाले खनिज पदार्थों पर भी अधिकार है।

जब इन निष्कर्षो पर जॉच करने तथा सम्बन्धित ठिकानेदारों से अपने स्पष्टिकरण व साक्ष्य माँगे गये व इसकी जाँच हेतु एक अन्य कमेठी भी नियुक्त की जाती है। लेकिन इसकी रिपोर्ट आने से पूर्व ही मि. वेब ने अपनी रिपोर्ट में यह रख दिया कि जयपुर को सीकर में जकात लगाने का अधिकार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन कार्यो में मि. वेब भी जयपुर का सहयेाग कर रहे थे।[3]

मि. वेब के श्रेष्ठ न्याय प्रणाली प्रदान करने के बहाने न्याय प्रणाली के पुर्नगठन का प्रस्ताव रखा जिसके द्वारा सीकर के दीवानी एवं फौजदारी अपीलों के अधिकार भी सदा के लिए जयपुर को प्राप्त हो जायेंगे लेकिन रावराजा ने इसके लिए मना कर दिया।

5. **जयपुर स्टेंट कौंशल का '12 अप्रैल, 1937' का एक आदेश** –जब जयपुर नरेश को विश्वास हो गया था कि सीकर के रावराजा कल्याण सिंह को ठिकाने का शासन प्रबंधन में सुधार हेतु दी गई सभी कोशिश बेकार हो गई है। और उनके परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तब उन्होंने 12 अप्रैल, 1937 को एक आदेश जारी किया जिसमें निम्न शर्ते रखी[4]

1. सीकर के शासन सुधार में सहयोग देने के लिए रावराजा को तैयार करने का विगत कुछ वर्षों का प्रयत्न विफल रहा। इस प्रकार सीकर ठिकाने की शांति को खतरे में डालते हुए रावराजा ने अपने आपको शासन के लिए अयोग्य साबित कर दिया है। इसलिए जयपुर महाराजा ने यह निर्णय लिया है कि 12 अप्रैल, 1937 से लेकर 10 वर्षो के लिए रावराजा के तमाम अधिकार जो शासन विभागों पर है। जयपुर राज्य द्वारा नियुक्त सीनियर ऑफिसर को सौंप दिये जाये।
2. भविष्य में सीकर ठिकाने का सुशासन कुमार हरदयालसिंह के उचित पालन–पोषण और शिक्षण पर निर्भर करता है इस संबंध में रावराजा को सीनियर अधिकारी के परामर्श का पालन करना होगा।
3. सीकर ठिकाने की वार्षिक आमदनी में से रावराजा को 12 लाख रु. बराबर किस्तों में महावार प्रदान किए जायेंगे इसके अतिरिक्त कुमार हरदयाल सिंह की शिक्षा हेतु पृथक अनुदान सीनियर अफसर प्रदान करेगा।

घटना का तात्कालिक कारण :–घटना का तात्कालिक कारण फरवरी, 1937 में कैप्टेन वेब से रावराजा कल्याण सिंह ने राजकुमार हरदयाल सिंह को जयपुर नरेश मानसिंह के साथ इंग्लैण्ड जाने की बात सुनी, इस सम्बंध में उन्होंने मार्च माह में ही जयपुर महाराजा से मुलाकात की तब महाराजा ने उनसे कहॉ कि कुमार मेरे साथ इग्लैंण्ड जा रहे है इसलिए उन्हें चिन्तित नहीं होना हैं। इस बात से रावराजा को सन्तोष नहीं होता हैं और अप्रैल, 1938 को पुनः महाराजा से मुकालत हेतु जयपुर जाते है। उन्होंने महाराजा से राजकुमार को इग्लैण्ड न ले जाने की प्रार्थना की तब महाराजा ने रावराजा से इसका कारण जानना चाहा और रावराजा से पूछा कि कुमार को मेरे साथ इग्लैण्ड भेजने में आपको क्या आपती है।

रावराजा ने महाराजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कुमार की आयु अभी बहुत छोटी है तथा में उसे विवाह से पूर्व इंग्लैण्ड नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैंने राजा साहब धांगध्रा (काठियावाड़) की पुत्री के साथ कुमार का रिस्ता 1933 ई. में ही तय कर चूका हूँ।[5] और मैंने उनसे यह वादा भी किया है कि विवाह पूर्व में कुमार को विदेश नही भेजूगा तब महाराजा ने कहा कि जब में तीन माह बाद वापिस लौटूं तब तक आप अपने कुमार का विवाह कार्य सम्पन्न कर सकते है।

इसके अलावा एक जानकारी हमें मोर्निंग ट्रब्यून समाचार पत्र[6] से प्राप्त होती है। जिसमें कहा गया कि महाराजा जयपुर ने सीकर रावराजा को सलाह दी की रावराजा के 16 वर्षीय पुत्र की शादी जोधपुर राजपरिवार में करनी चाहिये।

इस सम्पूर्ण घटना का तात्कालिक कारण इसी घटना को माना जाता है। जिसके बाद दोंनों शासकों के मध्य चार माह तक संघर्ष चलता है।

''संघर्ष की शुरूआत''

इस संघर्ष की शुरूआत 16 अप्रैल, 1938 को होती है। और 25 जुलाई, 1938 तक चलता है।[7]

इस तात्कालिक घटना से आहत होकर रावरानी साहिबा ने अनशन[8] कर दिया। राजकुमार हरदयाल सिंह को मेयो कॉलेज अजमेर से अंतिम रूप से हटाकर महाराजा साहब अपने साथ कश्मीर ले गये रावरानी से इस संकट भरे समय में मिलने हेतु दिल्ली से कस्तूरबा गॉधी, जानकी देवी बजाज, व पार्ववी देवी[9] आई थी।

रावराजा साहब अपने कानूनी सलाहाकार श्री त्वक्ले के साथ रेजिडेन्ट जयपुर से मुलाकात कि उन्हें राजकुमार का विवाह शीघ्र ही सम्पन्न करने की बात कहीं लेकिन रेजिडेन्ट ने कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते यह घटना 8 अप्रैल, की है। अगले ही दिन कैप्टेन वेब ने एक तार जयपुर भेजा जिसमें लिखा की सीकर की स्थिति भयानक होती जा रही है अतिशीघ्र सहायता की याचना की गई।

ऐसी स्थिति में आस–पास के लगभग 3 से 4 हजार राजपूत और कायमखानी सीकर के गढ़ के चारों और एकत्र हो जाते है। रावराजा की रक्षारत, आमजन द्वारा 'पब्लिक कमेठी'[10] का गठन किया जिससे की संयुक्त होकर रावराजा के अधिकारों हेतु लड़ा जा सके।

कैप्टेन वेब ने इसके विषय में बिल्कुल गलत व चौंका देने वाली रिपोर्ट जयपुर के अधिकारियों के पास भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि जनता के उमड़े इस समूह को रोकने में सीकर पुलिस असमर्थ है। तथा जयपुर के अधिकारियों से सहायता कि याचना की और जयपुर द्वारा ऐसा ही किया गया। पुलिस का एक दल सीकर के लिए रवाना कर दिया गया जिसने शहर को चारों से घेर लिया था। सम्पूर्ण शहर की जनता में उत्तेजना का माहौल बन गया अब संघर्ष निकट ही दिखाई दे रहा था।

13 अप्रैल, 1938 को एक तार रावराजा को प्राप्त हुआ जिसमें 15 अप्रैल तक रावराजा को रामबाग पैलेस में महाराजा के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तार के जवाब में रावराजा ने रानी के अनशन के कारण अस्वस्थ होने की बात कहकर मना कर दिया, महाराजा ने दुबारा एक तार भेजकर उपस्थित होने को कहॉ लेकिन इस बार रावराजा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।[11]

रावराजा की गिरफ्तारी के प्रयास

16 अप्रैल, 1938 को रावराजा ने एफ.एस.यंग और कैप्टेन वेब से देवीपुरा की कोठी में भेट की इनके साथ ठाकुर साहब डिग्गी, रावराजा पाटन, और कैप्टेन चमन सिंह थे। इन सब ने रावराजा को जयपुर चलने हेतु कहा लेकिन रावराजा ने अपने समर्थकों का हवाला देते हुए जयपुर न जाकर वापस गढ़ में लौट गये, मि. यंग (आई.जी. जयपुर पुलिस) और कैप्टेन वेब रावराजा के इस प्रकार सम्मिलित लोगो की दृष्टि में गिरफ्तारी का षड्यंत्र कर रहे थे। महल में आने के बाद रावराजा ने महल के दरवाजे बंद करवा दिय व जनता ने शहर में हड़ताल का आह्वान कर दिया।[12] इस संकटपूर्ण स्थिति में रावराजा का समर्थन फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, व रामगढ़ ने किया। 18 अप्रैल को सीकर की हड़ताल का समाचार पाकर रेजिडेण्ट जयपुर ने रावराजा को जयपुर बुलाया लेकिन प्रजा के प्रतिरोध के कारण रावराजा वहां नहीं गए। इस लिए रेजिमेण्ट ने स्वयं सीकर की परिस्थितियों का अध्ययन करने प्राइम मिनिस्टर ले. कर्नल बिचम सेण्ट जॉन को 21 अप्रैल, 1938 ई. को सीकर भेजा।[13] उनसे मिलने हेतु रावराजा जाने ही वाले थे कि उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। इसलिए रावराजा ने राजासाहब भिनाय व एक 14 व्यक्तियों के शिष्टमण्डल को प्रधानमंत्री जयपुर से मिलने भेजा इस प्रतिनिधि मण्डल ने रावराजा के समर्थन में निम्न बातें प्रधानमंत्री के समक्ष रखी।

1. रावराजा की स्वतंत्रता व इज्जत पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जायेगा।
2. इस घटना से सम्बंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आम माफी प्रदान की जायेगी।
3. राजकुमार जयपुर महाराजा के साथ इंग्लैण्ड जाये उससे पूर्व उसके विवाह की तिथि तय की जाये।
4. 12 अप्रैल, 1937 की आज्ञा को निरस्त किया जाये।
5. सीकर को उसके पूर्व के अधिकार वापस लौटाएं जाये।
6. वर्तमान ऑफिसर के प्रबंधन की पक्षपातपूर्ण जॉच की जाये 22 अप्रैल को जयपुर पहुँच कर प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखकर उपरोक्त बातों को मानने का आश्वासन रावराजा को दिया परंतु अगले ही दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री महोदय ने रावराजा को जयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोही

घोषित कर दिया और उन्होंने उसके गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी।

25 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहॉ गया कि रावराजा ने सीकर स्थिति रेजिमेन्ट से जान बूझकर नहीं मिले इसी दिन जयपुर पुलिस की अतिरिक्त टुकड़िया सीकर भेज दी जाती है। और 26 अप्रैल[14] को जयपुर राज्य द्वारा सीकर पर तोपे तैनात कर दी जाती है। सीकर गढ़ को चारों और से घेर लिया जाता है। तथा जगह–जगह मशीन गन लगा दी जाती है।

ONE OF FOUR GUNS SENT TO SIKAR TO BE USED IN THE EVENT OF AN ASSAULT ON THE CITY: A MUZZLE-LOADING CANNON OF THE JAIPUR ... 120 YEARS OLD.

ARRIVING TO NEGOTIATE A SETTLEMENT WITH THE RAO RAJA: MR. A. C. LOTHIAN, AT SIKAR STATION. BIDDING FAREWELL TO HIS SUBJECTS AFTER THE SIEGE WAS RAISED: THE RAO RAJA LEAVING FOR AJMER.

स्त्रोत : द इलस्ट्रेटेड न्यूज पेपर, लंदन, 14 मई,1938, पृ.सं. 860

28 अप्रैल को महाराजा और प्राइम मिनिस्टर ने 'सीकर में किस प्रकार शांती स्थापित की जाये' इस विषय पर राजस्थान के ए.जी.जी. लोथिथन से विचार–विमर्श किया, जिसमें लोथियन को शांती स्थापनार्थ सीकर भेजना निश्चित किया गया, 29 अप्रैल को लोथियन[15] शांती स्थापना हेतु सीकर पहुँचते है।

इन्होंने निम्न शर्ते प्रस्तुत की

1. राजकुमार की इंग्लैण्ड यात्रा को रद्द करना उनका प्रमुख उद्देश्य था जो घटना का तात्कालिक कारण था।
2. रावराजा जयपुर जायेंगे तथा महाराजा जयपुर को अपना व्यक्तिगत स्पष्टिकरण देंगे।
3. रावराजा को वापस सीकर आने की इजाजत दी जायेगी।
4. सीकर की जनता द्वारा हड़ताल खत्म कर दी जायेगी।

निम्न बातों पर दोंनो और से सहमती हो जाने पर रावराजा ने रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर तथा फतेहपुर की हड़ताल खुलवा दी तथा स्वंय ए.जी.जी. के साथ मांउट आबू जाने को तैयार हो जाते है।

जयपुर द्वारा 5 मई, 1938 को एक विक्षप्ति प्रकाशित की गई जिसमे लिखा था कि महाराजा जयपुर अपनी कौंशल की सलाह से कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट– 1925 की धारा 7 के क्लॉज (B) के सब क्लॉज (I) के अन्तर्गत रावराजा कल्याण सिंह सीकर नरेश को मानसिक रूप से पागल घोषित करती है तथा अपनी सम्पति के उपयोग हेतु अयोग्य घोषित करती है। 6 मई को एक और विज्ञप्ति निकाल कर घोषणा की जाती है। कि सीकर की सम्पूर्ण सम्पति कोर्ट ऑफ वार्डस के अधिन की जाती है।[16]

इन दोनों ऑडर के बाद स्थिति और भी भंयकर होने से जनता को खतरे का अंत बिना युद्ध के दिखाई नहीं दे रहा था। पब्लिक कमेठी ने रावराजा के दिमांग की जॉच हेतू एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठित करने की मांग की। कमेठी ने एक तार जयपुर के प्रधानमंत्री, राजपूताना के गर्वनर एजेंट, जयपुर की स्टेंट कौंशल को लिखा जिसमें रावराजा के दिमांग की जॉच हेतु मैडिकल बोर्ड गठित करने की बात कही, इसी समय कमेठी के सदस्य गनी खॉ ने प्रस्ताव रखा की मेडिकल बोर्ड में डॉ. विधाचन्द्र राय, डॉ. देशमुख, और डॉ. राजबली को शामिल किया जाये।[17]

सीकर में आम हड़ताल के कारण खतरे की घटी तो पहले ही बज चूकी थी अब स्थिति और भी भंयकर हो गई जनता जहॉ–तहा से उमड़ पड़ी थी, तथा सम्पूर्ण सीकर शहर एक छावनी में बदल गया था।

सीकर की जनता पर लाठी चार्च :–

ए.जी.जी. राजपूताना लोथियन ने 26 मई तक का समय रावराजा को शांति स्थापना हेतु दिया था रावराजा ने शांति स्थापना हेतु काफी प्रयास किया लेकिन सीकर की जनता ने जब तक रावराजा को अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो जाती किसी प्रकार समझौता नहीं करना चाहती थी।

4 जून के दिन पुनः जयपुर पुलिस सीकर आ पहुँची सीकर की सभी सड़कों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया जयपुर दण्ड विधान की धारा–138 जो भारतीय दण्ड विधान की धारा–144 होती है। के तहत सीकर में मार्शल लॉ[18] लगा दी गई तथा शहर में आने जाने वाले सभी मुसाफिरों की भी तलाशी ली जाने लगी। जयपुर पुलिस ने 7 जून, 1938 को आवश्यकता पड़ने पर सीकर शहर में दो बार गोलिया चलाई एवं 14 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, लुहारिया का बास मुहल्ले के करीब 500 व्यक्तियों ने उस रोज जयपुर लॉसर्स के एक छुडसवार पर हमला कर दिया जिसका कारण कुछ सशस्त्र व्यक्तियों को सीकर में प्रवेश न करने देना था। जिसका समाचार सुनकर जयपुर से कर्नल डांट व मि. यंग के नेतृत्व में रिजर्व आर्म्ड पुलिस फोर्स की तीन लोरिया जिसमें 600 पुलिस वाले राज्य पुलिस के तथा 250 पुलिस वाले जयपुर पुलिस[19] के थे। उन्होंने यहा पहुंचकर सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

इसी समय माली का बास के पास मि. यंग और कर्नल डांट को लक्ष्य करके उनकी गाड़ियों पर पत्थर फैंके गये तथा गोलियां चलाई गयी। तत्पश्चात् लाल के बास की एकत्रित भीड़ ने भी गोलियां चलाई जिसमें पुलिस का एक कांस्टेबल आहत होकर गिर पड़ा। मि. यंग ने अपने कांस्टेबलों को भी फायर का आदेश दिया जिसमें दो व्यक्ति मारे जाते है तथा कर्नल डांट ने भी गोलिया चलाई।

तत्पश्चात् मि. यंत्र व कर्नल डांट के निर्देशन में जयपुर पैदल सेना का एक दल सबलपुरा गांव पहुंचा वहां भी जनता तथा सेना में संघर्ष होता है जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये व 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।[20]

सीकर स्टेशन गोलिकाण्ड घटना

5 जूलाई, 1938 सीकर जिले के रिंगस कस्बे से रावराजा के समर्थकों से भरी एक ट्रेन सीकर स्टेशन पर आती है। उस ट्रेन पर जयपुर पुलिस द्वारा गोलिया दागी जाती है। जिसमें लगभग 18 व्यक्ति मारे जाते है। समकालीन समचार पत्रों में इनकी संख्या अलग–अलग बताई गई हैं। एक समाचार पत्र में मरने वालों की संख्या 45 बताई गई यह संख्या उन गॉवों से प्राप्त होती है। जहॉ ये से व्यक्ति चलकर आये थे। दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान समाचार का पत्र में इनकी संख्या 15 बताई गई हैं इसलिए कितने व्यक्ति मरे स्पष्टतः नही कह सकते तथा लगभग 40 से अधिक व्यक्ति इस संघर्ष घायल हो जाते है।[21]

अब स्थिति काफी खराब हो चूकी थी चारों और रणयोद्धा राजपूत व पुलिस के सिपाही ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। आम जनता में इतना भय व्याप्त हो गया था कि वे शहर छोड़कर निकतम गॉवो की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब भी रावराजा के समर्थक राजपूत व कायमखानी यहॉ रूके हुए थे।

इस घटना पर श्री बैज नाथ बैजपुरिया (M.L.A. Central) मारवाड़ी एसोसिएशन कलकत्ता के प्रमुख ने वायसराय सचिव (भारत सरकार) व प्रधानमंत्री जयपुर को निम्न तार भेजा ''सीकर पर जयपुर पुलिस की गोलियों से कई लोग हताहत हुए है इस संघर्ष को आगे बढ़ने से रोकने व गंभीर स्थिति पर नियंत्रण रखने की प्रार्थना की तथा निषक्ष कार्यवाही का आग्रह किया''

इसी प्रकार के तार जमनालाल बजाज तथा पं. जवाहर नेहरू को लिखा गया।[22]

इसी समय रावराजा के निजी सचिव शिवप्रसाद माथुर को जयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वे गिलन आयोग के समक्ष मामला रखने हेतु रावराजा के वकील की सहायता करना चाहते थे।[23]

इस घटना पर 'जयनारायण व्यास' कि टिप्पणी '' सीकर के लोगों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु एक संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता है तथा आन्दोलन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए सभी समुदाय के लोंगो को मिलकर कार्य करना चाहिए। और रावराजा की सीकर वापसी हेतु दिलचस्पी रखने वाले लोगों को भविष्य के लिए उचित कार्यक्रम का निर्धारण कर उनको पूर्ण करने के प्रयास करने चाहिए।[24]

इस घटना के बारे में कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में सभापतित्व करते हुए 'सुभाष चन्द्र बोस' ने कहा था ''रियासतों में हम उतरदायी शासन चाहते हैं क्योंकि ब्रिटिश भारत और रियासतें कोई अलग चीज नहीं है''।[25] 'श्री इंदरलाल देवरा' (सचिव सीकर विषयक समिति, कलकत्ता) ने एक तार इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री को लिखा था जिसमें भारत सचिव को सीकर विषयक मामलें से अवगत करवाने की बात कहीं गई थी साथ ही इस मामले की और फिरोज खान उच्चायुक्त भारत सरकार और श्री एन.एन. सरकार को भी इस मामलें की और ध्यान देने को कहा गया था ''सीकर व जयपुर संघर्ष में कई व्यक्ति मारे गये है और कितने ही व्यक्ति घायल हुए है। इस संघर्ष में बहुत अधिक हानी की आशंका व्यक्त की जा सकती है। वहॉं के कारखानें, व्यापार–वाणिज्य तथा जान–माल को काफी हानी पहुंची है। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार जयपुर स्टेट पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, यहा शांति कायम करने हेतु सुरक्षा का प्रबंध किया जायें''।

इन्होंने ऐसा ही एक तार, एटली, जॉर्ज लांसबरी, हेंडरसन मि. विल्किंसन और लॉर्ड जॉर्ज को लिखा जिसमें दोनों क्षेत्रों के मध्य शांति स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार को सहयोग की बात कही गई थी। एक तार सहयोग हेतु पं. नेहरू तथा जस्टिक मि. योक्र को भी लिखा गया था।[26]

इस बार शांति स्थापना हेतु बाहरी लोंगों ने भी काफी प्रयास किया था तथा संघर्ष को और आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। 23 जुलाई, 1938 को जमनालाल बजाज के प्रयासों से महाराजा स्वयं सीकर आये तथा जनता से मुलाकात कर समझौते की बात की तथा उन प्रमुख दस व्यक्ति को रिहा कर दिया जिन्हें मि. यंग ने गिरफ्तार किया था तथा सीकर की जनता को भी आम माफी का फरमान जारी किया साथ ही जिन्होंने महाराजा का सहयोग किया था उन्हें धन्यवाद दिया गया। तब कहीं जाकर समझौता हो सका तथा हड़ताल को खत्म किया जा सका इस समय पब्लिक कमेठी ने कुछ माँगे रखी जिसमें वेब व बापना को हटाने की बात कही गई थी उचित आश्वासन मिलने पर 25 जुलाई, 1938 को सीकर का जनजीवन वापस अपने पुराने स्तर पर पहुँच गया।[27]

जयपुर–सीकर संघर्ष की जॉच हेतु 'गिलन कमीशन' का गठन

कमीशन के सदस्य ले. कर्नल जी.वी.ई. गिलन दक्षिणी राजपूताना के अंग्रेज अधिकारी, ठाकुर हरिसिंह (मंत्री जयपुर सरकार), कर्मचन्द्र (प्रमुख कोटड़ी ठीकाना)[28] के निर्देशन में इस आयोग का गठन किया गया। सीकर का विद्रोह शांत होने के बाद रावराजा के अधिकारों का प्रश्न जयपुर दरबार द्वारा इस कमीशन के विचार हेतु रखा, रावराजा की और से गिलन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला वक्तव्य कोई 27 पन्नों और 20 हजार शब्दों में रावराजा के वकील पी.एल. चूड़कर (बंबई) द्वारा तैयार किया गया था, जिसको रावराजा के आदेश पर चूड़कर द्वारा गिलन कमिशन के सामने रखा गया था रावराजा ने कमिशन के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें बताया कि सीकर एक स्वतंत्र ठिकाना हैं तथा जयपुर को दिया जाने वाला नजराना स्वयं की इच्छा से देता है। जिसका अर्थ केवल सीकर पर होने वाले बाह्य आक्रमण से बचना है। जयपुर की और से प्रस्तुत व्यक्तव्य में सीकर को जयपुर का एक अभिन्न हिस्सा बताया तथा उन्होंने बताया कि कुशासन के समय जयपुर को सीकर के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है।[29] गिलन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता उससे पूर्व ही रावराजा ने चूड़कर के माध्यम से 7 अक्टूम्बर, 1938 को महाराजा साहब के सामने उपस्थित होकर मॉफी माँगने की बात कहीं महाराजा द्वारा स्वीकृति के बाद अगले दिन 8 अक्टूम्बर, 1938 को रावराजा प्रार्थना पत्र के साथ जयपुर गये तथा महाराजा से मुलाकत कर मॉफी की प्रार्थना की साथ गिलन कमीशन के सामने लगाये आरोप वापस ले लिये।

उन्होंने यह बात भी स्वीकार कर ली की सीकर का प्रशासन जयपुर द्वारा नियुक्त सीनियर ऑफिसर को सम्पूर्ण अधिकारों सहित दे दिया जायेगा।[30]

इसके बाद रावराजा अजमेर चले गये। तथा गिलन कमिशन को भंग कर दिया जाता हैं

जयपुर गजट का एक अतिरिक्त अंक निकालकर महाराजा ने रावराजा की क्षमा याचना पर विचार करने के बाद 10 दिसम्बर, 1938 को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सीकर के शासन में रावराजा का कुछ भी अधिकार नहीं रहा ''रावराजा जी द्वारा 8 अक्टूम्बर, 1938 को मांगी गई माफी महाराजा जयपुर दरबार द्वारा स्वीकृति होने के कारण जयपुर सरकार ने सीकर जॉच कमीशन को भंग कर दिया है। और रावराजाजी की मॉफी व कमीशन की जॉच के नतीजे पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद महाराजा ने पूर्व के सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। तथा इस विषय में नये आदेश जारी किये जा रहे जिसके अनुसार रावराजा के सीकर पर शासन के सम्पूर्ण अधिकार खत्म किये जाते है तथा अब ठिकाने के सम्पूर्ण कार्य महाराजा द्वारा नियुक्त सीनियर ऑफिसर को दिये जाते हैं और रावराजा के सीकर जाने पर भी रोक लगा दी गई है।''[31]

इस आदेश के बाद रावराजा ने अजमेर व दिल्ली में चार वर्ष व तीन माह का समय बिताया, तथा इस समय में सीकर पर

सीनियर ऑफिसर के रूप में क्रमशः वेब, ईश्वर नारायण किचलू, और सरदार संतोष सिंह रहे।

1942 में रावराजा पुनः सीकर आते है। 1 अक्टूम्बर 1943 को महाराजा जयपुर द्वारा जयपुर गजट में एक अंक निकालकर रावराजा सीकर को शासन के अधिकार पुनः प्रदान किये।

जयपुर महाराजा के आदेश ''महामहिम महाराजा जयपुर की आज्ञा से सीकर महाराजा कल्याण सिंह को 1 अक्टूम्बर, 1943 को शासन के अधिकार पुनः प्रदान करने के आदेश जारी किये जाते है।'' इस प्रकार चार वर्ष के लम्बे समय के बाद उन्हें पुनः शासन के अधिकार प्रदान किये जाते है।[32]

सीकर–जयपुर संघर्ष के जमनालाल बजाज की भूमिका

इनकी भूमिका को तीन चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण गोलिकाण्ड से पूर्व जब दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष शुरू होता है। तथा जमनालाल बजाज 29 अप्रैल, 1938 को गाँधीजी व पटेल से आज्ञा लेकर संघर्ष को शांत करवाने हेतु आते है। लेकिन जनता द्वारा उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस लिए वे पुनः लौट जाते है।[33] दूसरे चरण में जब 5 जूलाई, 1938 को सीकर स्टेशन पर गोलिकाण्ड वाली घटना होती है। तब हिरालाल शास्त्री द्वारा सूचना प्रदान करने के बाद वो सीकर हेतु रवाना हो जाते है। लेकिन जयपुर प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें वहीं रोक लिया जाता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह मामला प्रजामण्डल से सम्बन्धित नही है। तब कहीं जाकर उन्हें 16 जूलाई, 1938 को जयपुर से सीकर जाने दिया जाता है। यहाँ पहुँच कर रानी साहिबा से परामर्श के बाद श्री बजाज, लूण सिंह डिक्टेटर, राजा साहब भिनाय व ठाकुर मदन सिंह (नवलगढ़) के साथ जयपुर पहुँचे तथा वहाँ महाराजा साहब से मुकालत कर शांति समझौते की बात कहीं वहीं जयपुर की तरफ से समझौते के लिए प्रधानमंत्री बिचम है। दोनों तरफ से समझौते की बातचीत चल रही थी।[34] दोनों और से समझौता हो जाने पर 23 जूलाई को महाराजा जयपुर सीकर आये और जनता को आम मॉफी प्रदान कर संघर्ष को शांत किया। इस प्रकार इस संघर्ष को शांत करवाने में जमनालाल बजाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 (23 अगस्त, 1938)

''श्री जमनालाल बजाज से जयपुर व सीकर विवाद के निपटारे को सुनते हुये कांग्रेस समिति ने विवाद के निपटारे को सुनकर सीकर के लोगों को बधाई दी और कहॉ कि बहादुरी की सच्ची भावना ने शस्त्र प्रतिरोध के विचार को छोड़कर अंहिसा विधि को अपनाने का फैसला किया है उसी के परिणाम स्वरूप रक्त पात की रोकथाम हो सकी है। कार्यकारिणी समिति ने 5 जूलाई को सीकर में गठित गोलीबारी की घटना में अपना जीवन खोने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। तथा कार्यकारिणी समिति उम्मीद करती है कि जयपुर के अधिकारी सीकर की जनता के साथ अच्छे सम्बंध रखे ताकि जयपुर महाराजा व रावराजा सीकर के मध्य दोस्ताना संबंध बने रहें।''[35]

जयपुर–सीकर प्रकरण और किसानो का रूख

रावराजा सीकर ने सीकर जाट किसान पंचायत के सदस्यों को देवीपुरा की कोठो पर बुलाया जिसमें 11 व्यक्ति शामील थे रावराजा ने सहायता हेतु निवेदन किया लेकिन किसान पंचायत ने अपनी कुछ माँगे रावराजा के सामने रखी इन माँगों को रावराजा ने प्रकरण के बाद मानने की बात कहीं जबकि किसान निर्णय इसी बैठक में चाहते थे जिससे समझौता नहीं हो पाया मि. यंग को जब इस बात का पला चला तो उसने किसानों से समझौता किया कि अगर आप जयपुर महाराजा का साथ देते है। तो आपकी माँगो पर विचार किया जा सकता हैं।[36] इस प्रकार सीकर के किसानों ने जयपुर के साथ समझौता कर सम्पूर्ण आन्दोलन में उनका साथ दिया।

जयपुर–सीकर संघर्ष के परिणाम

रावराजा सीकर ने अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु जयपुर राज्य के साथ लम्बा संघर्ष किया जिसमें आम जन ने उनका काफी सहयोग किया चार माह तक संघर्ष चला जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन चार माह तक जयपुर पुलिस का अधिकार सीकर पर बना रहा जिसके कारण यहां का व्यापार–वाणिज्य ठप हो गया था सरकारी कार्यालयों में हड़ताल के दौरान काम–काज रूक गया था, इस समय सम्पूर्ण सीकर शहर का जन जीवन आंतकित हो गया था आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी जिसके कारण शहर में रह रही जनता में इतना भय उत्पन्न हो गया कि उसे शहर छोड़कर गांवो की तरफ पलायन करना पड़ा फिर भी रावराजा के साथ हर वर्ग ने जैसे – राजपूत, बाह्मण, कायमखानी तथा निम्न वर्ग ने साथ दिया इस समय सीकर की जनता में सामाजिक समरस्ता का भाव आ गया था इस संघर्ष ने इतना भयंकर रूप धारण किया की कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा तथा कई लोगों को गिरफ्तारी के बाद लम्बी यातनाऍ सहनी पड़ी।

इस संघर्ष में सीकर का पक्ष जयपुर से मजबूत था क्योंकि आमजन भी रावराजा के अधिकारों हेतु लड़ रहा था तथा लम्बे समय तक जयपुर की तोपों के आगे रूका रहा।

आखिरकार 8 अक्टूम्बर, 1938 को रावराजा ने जयपुर महाराजा से मॉफी माँगनी पड़ी तथा अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा चार वर्ष तक सीकर पर जयपुर द्वारा नियुक्त सीनियर अधिकारी शासन करता रहा। इस संघर्ष के कारण सीकर के शासन प्रबंधन पर काफी प्रभाव पड़ा क्योंकि रावराजा द्वारा शासन प्रबंधन में किया जा रहा सुधार कार्य अब रूक गया और जनहित में खर्च किया जाने वाला पैसा इस संघर्ष में खर्च हुआ।

अतः हम कह सकते है कि सीकर क्षेत्र के विकास कार्य पर विपरित प्रभाव पड़ा, चार वर्ष तक यहां जयपुर का अधिकार रहा तथा रावराजा के सीकर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार इस संघर्ष का दुखद् अंत होता है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि तोपों के सामने तलवार, भालों, अस्त्र–शस्त्र से लड़ने वाली अपने पूर्वजों की योग्य संतान ने इस नये प्रकार की लड़ाई में भी कम योग्य साबित नहीं हुई।

संदर्भ सूची

1. झाबरमल शर्मा : सीकर का इतिहास, राजस्थानी, ग्रंथगार, जोधपुर, द्वितीय संस्करण, 2015 पृ. 79
2. शिवदयाल जागीड़ : सीकर नरेश रावराजा श्री कल्याण सिंह जी बहादुर का जीवन चरित्र, अजमेरा प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1961 पृ. 62
3. वही पृ. 62
4. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1938
5. पेमारामः शेखावटी किसान आन्दोलन का इतिहास, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, संस्करण 2017, पृ. 157
   शिवदयाल जागीड़ : सीकर नरेश रावराजा कल्याण सिंह का जीवन चरित्र, अजमेरा प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, प्रथम संख्या संस्करण, 1961, पृ. 62
   MalayaTribune New Peper (Mlesiyas) 16 may, 1938
   The Westren Mail news paper (Austreliya) 28 April, 1938
   Daily Herald London, 28 April, 1938 P.No. 01
6. Morning Tribune News Peper (Malesiya) 28 April, 1938, P.No. 1
7. पेमारामः शेखावटी किसान आन्दोलन का इतिहास, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, संस्करण 2017, पृ. 156
8. The Sun Sydeny News paper (Austriya), 29 April, 1938 P.No. 05 Daily Herald London, 28 April, 1938 P.No. 01

9. Malaya Tribune News Peper, 20 May, 1938, P. No. 33
10. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिल्ली, 27 अप्रैल, 1938
11. Malaya Tribune New Peper (Mlesiyas) 16 may, 1938, P.No. 16
12. The Scofman, 04 Jun, 1938, P.No. 05
शिवदयाल जागीड़ : सीकर नरेश रावराजा श्री कल्याण सिंह जी बहादुर का जीवन चरित्र, अजमेरा प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1961
पृ. 64
13. वही पृ. 65
14. The Herald Speical Serivce (Malbern) 29 April, 1938
15. Malaya Tribune Newspaper (Malesiya) 18 May 1938, P.No. 15
The Scotsman Newspaper, 04 May, 1938, P.No. 05
Western Morning News and daily guzetter, 30 April, 1938
Aberdeen press and Journal Newspaper, 30 April, 1938
The Evening Oreus, Newspaper, 29 April. 1938
16. Malaya Tribune Newspaper (Malesiya) 20 May 1938, P.No. 15 Daily Herald London, 9 May April, 1938, P.No. 02 The Scotsman Newspaper, 12 July, 1938, P.No. 11
17. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिल्ली, 12 मई, 1938
18. Hartlepool Northan Daily Mail newspaper, 5 July 1938, P.No. 6
19. Belfast Telegram Antrin Northren, Ireland, 20 July, 1938, P.No. 09 Hart Lepol Daily Mail News Paper, 05 July, 1938 P.No. 06 The Straiks Time Newspaper, 31 July, 1938, P.no. 06
20. Belfast Telegraph Newspaper, 7 July, 1938, P.No. 09
21. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिल्ली, 28 अगस्त, 1938
The Hindustan Times Newspaper, 7 July, 1938, P.No. 01 विश्वमित्र समाचार पत्र, 07 जूलाई, 1938
22. Malaya Tribune Newspaper, 16 July, 1938, P.No. 16
The Hindusthan Times Newspaper, 07 July, 1938
Malaya Tribune Newspaper, 16 July, 1938, P.No. 19
23. वही पृ. 19
24. वही पृ. 19
25. The Hindustan Times Newspaper, 20 July, 1938, P.No. 01
26. Malaya Tribune Newspaper, 16 July, 1938, P.No. 19
27. Malaya Tribune Newspaper, 5 Augest, 1938, P.No. 16
पेमाराम : शेखावटी किसान आन्दोलन का इतिहास, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, संस्करण 2017, पृ. 156
28. Malaya Tribune Newspaper (Malesiys), 4 Jun, 1938, P.No. 19
29. Tribune Singapur Newspaper, 26 Jun, 1938, P.No. 16
Malaya Tribune Newspaper, 16 July, 1938, P.No. 19
Belfast Telegraph Newspaper, 6 July, 1938, P.No. 04
30. Malaya Tribune Newspaper (Malesiya), 26 Oct., 1938, P.No. 14
31. Malaya Tribune Newspaper (Malesiya), 31 Dec., 1938, P.No. 19
32. शिवदयाल जागीड़ : सीकर नरेश रावराजा श्री कल्याण सिंह जी बहादुर का जीवन चरित्र, अजमेरा प्रिंटिग प्रेस, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1961 पृ. 67
33. मंजू गुप्ता : स्वतंत्रता संग्राम एवं जमनालाल बजाज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण, 2016, पृ. 120
हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिल्ली, 12 मई, 193 Malaya Tribune Newspaper (Malesiya), 20 May, 1938, P.No. 33
34. Dundee Evening News Paper, 22 July, 1938, P.No. 1
35. Anual Register, Volume II, 1 July-Dec, 1938, P.No. 261
36. पेमारामः शेखावटी किसान आन्दोलन का इतिहास, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, संस्करण 2017, पृ. 158–159